भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2236
गुरुवार, 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अतिरिक्त हवाईअड्डों का निर्माण

2236. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में राज्य-वार कुल कितने हवाईअड्डे हैं;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने हवाईअड्डों को स्वीकृति दी गई;

(ग) क्या ये सभी हवाईअड्डे चालू हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनके निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास अतिरिक्त हवाईअड्डों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ङ) क्या नए प्रस्तावित हवाईअड्डे सरकारी स्वामित्व के अधीन होंगे अथवा निजी क्षेत्र के अधीन होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से हवाईअड्डा निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों/हेलीपैडों/वाटर एयरोड्रोमों सहित कुल 164 प्रचालनरत हवाईअड्डे मौजूद हैं।

(ख) से (च): भारत सरकार (जीओआई) ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डे का विकास करना चाहता है, तो उन्हें एक उपयुक्त स्थल की पहचान करना और पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना अपेक्षित है और 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

पिछले 10 वर्षों में 10 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनमें गुजरात में धोलेरा, उत्तर प्रदेश में नोएडा, आंध्र प्रदेश में भोगापुरम, दगदार्थी और कुर्नूल, गुजरात में राजकोट (हीरासर), अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर (होल्लोंगी), तमिलनाडु में परंदुर, राजस्थान में कोटा और ओडिशा में पुरी शामिल हैं। इनमें से राजकोट (हीरासर), इटानगर (होल्लोंगी) और कुर्नूल हवाईअड्डों को प्रचालनरत कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 6 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए 'साइट क्लीयरेंस' भी प्रदान की है, जिनमें राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, हिमाचल प्रदेश में मंडी, केरल में कोट्टयम, असम में डोलो और कर्नाटक में रायचूर शामिल हैं।

वर्तमान में, कोट्टयम (केरल), रायचूर (कर्नाटक), डोलो (असम) में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन और सोनपुर (बिहार), श्रीकाकुलम और नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश) में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए साइट क्लीयरेंस अनुमोदन हेतु आवेदन जीएफए नीति के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं।

हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, जिसमें कार्यान्वयन का तरीका, परियोजनाओं का वित्तपोषण आदि शामिल है, संबंधित राज्य सरकार (यदि राज्य सरकार परियोजना प्रस्तावक है) सहित संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता की होती है।

*****